Form-III

फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाड़ा

अर्जुन सिंह / भानुसिंह राजपुत जि० करणपुर बनाम भुपेन्द्रसिंह / इन्द्रसिंह चारण नि० बडौदा

किस्म मुकदमा :– 188, 209 R.T.A

प्रकरण संख्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर ता अहक इस की में हु
21/11/16	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी अर्जुनसिंह पिता भानुसिंह जाति राजपुत निवासी करणपुर ने अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी भुपेन्द्रसिंह पिता इन्द्रसिंह चारण निवासी करणपुर के विरूद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/12/16 को पेश हो।	
27/12/16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकेन उपस्थित जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 31/1/17 को पेश हो। पुनः नोट :- इतना लिखने के बाद भी प्रतिवादी गण को नोट कि उनको सिर्फ एक मात्र पत्र पेश किया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली दिनांक 31/1/17 को पेश हो।	
31/1/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकेन उपस्थित जवाब दावा हेतु पत्रावली दिनांक 14/3/17 को पेश हो।	
11/2/17	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वकुलाम फरीकेन उपस्थित राजीनामा पेश नहीं हो सका। जवाब दावा हेतु पत्रावली दिनांक 14/3/17 को पेश हो।	

11.6.19 फतावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित। [illegible] ने राजीनामा पेश करते समय पाया। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाकर फतावली वास्ते राजीनामा पेश होने दिनांक 2.7.19 को पेश हो।

24.6.19 फतावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मोतीलाल तावियाद अभिभाषक का [illegible] वकालतनामा पेश होकर प्रतिवादीगण मय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा हमराह अभिभाषकगण के उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान की पहचान अभिभाषकगण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी द्वारा इस प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते निवेदन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बाद तसदीक शामिल फतावली किया जाकर फतावली फैसल शुमार कर बाद दाखिल दफ्तर की जाती है।